न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 913/17 निर्णय दिनांक :– 17/6/2019

गोपाली

––वादी––

बनाम

जयराम

––प्रतिवादीगण––

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0</u>

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि :– वादीया ने अपना दावा अपने हक में खोले गए नामांतरण सं. 202 दिनांक 14/05/1986 को आधार बनाकर प्रस्तुत किया है तथा अपने दावे में यह कहा है कि प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मियों से साझे करके अपने हक में नामांतरण खुलवा लिया है इस कारण वादीया को खातेदारी दी जावे। प्रतिवादी ने वादीया के उक्त नामांतरण सं. 202 दिनांक 14/05/1986 के खिलाफ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की थी जिसमे माननीय अतिरिक्त कलेक्टर महोदय ने अपने निर्णय दिनांक 18/09/1986 द्वारा निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार चाकसू को रिमांड किया था। तहसीलदार चाकसू ने उक्त प्रकरण प्राप्त होने पर अपने यहां मुकदमा न. 37/87 पर उक्त प्रकरण को दिनांक 11/06/87 को दर्ज कर उक्त प्रकरण में दिनांक 27/07/87 को निर्णय कर उक्त नामांतरण प्रतिवादी नं. 2 के हक में खोले जाने के आदेश पारित किये थे जिस आदेश पर नामांतकरण [illegible] दिनांक 17/12/99 मिन प्रतिवादी नं. 2 के हक में खोला [illegible] की सम्पूर्ण जानकारी वादिया को है। इस कारण वादिया को उक्त [illegible] के लिए कोई [illegible] हेतुक नही हुआ है। इस कारण वाद हेतुक के अभाव [illegible] वादिया का दावा [illegible] होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

योग्य है। साथ ही चूंकि सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर नामान्तकरण खोला गया है इस कारण सक्षम न्यायालय के आदेश को निरस्त करवाये बिना उक्त दावा वार्ड बाई लॉ हाने के कारण चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का मंजूर किया जावकर वादिया का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र की प्रति वादी वकील को दी गयी तो वादी वकील ने प्रार्थना का जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 1 जिस प्रकार वर्णित किया गया है। कतई गलत है अस्वीकार है प्रार्थीया ने अपने स्व पति की खातेदारी भूमि के संबंध में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है वादीया ने वाद पत्र के मद नं0 2 में स्पष्ट रूप से कथन कहे है कि वादग्रस्त आराजी वादीया के पति स्व0 गोपाल की खातेदारी भूमि है,तथा उसके फोत हो जाने के पश्चात वादीया अपने पति स्व0 गोपाल की वारीस है एवं स्व0 गोपाल के हिस्से की खातेदारी भूमि में वादीया का हक व हिस्सा है इस प्रकार वादीया ने दावे का मुख्य आधार अपने स्व0 पति की हिस्से की खातेदारी भूमि में घोषणा चाही है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 2 जिस प्रकार वर्णित किया गया है। कतई गलत है अस्वीकार है अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर के यहाँ नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की गई हो तो यह फिसक्ल प्रोसेडिंग थी। प्रार्थना पत्र का मद नं 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, कतई गलत है अस्वीकार है तहसीलदार चाकसू द्वारा नामान्तकरण के संबंध में किसी प्रकार की कोई जॉच कर नामान्तकरण के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया हो तो वह केवल 135 भू–राजस्व अधिनियम के तहत ही किया गया था ना कि किसी वाद में साक्ष्य व सबूत लेकर तय किया गया हो नामान्तकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसेडिंग है जिसके आधार पर अधिकार तय नहीं किये जा सकते नामान्तकरण खोले जाने से किसी भी व्यक्ति के हित प्रभावित नहीं होते अपितु अपने विधिक अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने नियमित अधिकार तय किये जा सकते है। तहसीलदार के समक्ष 135 भू–राजस्व अधिनियम के तहत केवल वह नामान्तकरण दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की [illegible] दर्ज करता है जो कि एक फिक्सल प्रोसेडिंग है जिसको कि [illegible] दी जा सकती है तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण [illegible] को नियमित वाद के द्वारा भी चुनौती दी जा सकती है प्रतिवादी का यह क[illegible] कि नामान्तकरण को निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:22 IST
Reason: SelfAttested

करवाये बिना उक्त वाद पोषणीय नहीं है कतई गलत है और विधि के विपरीत है वादीया द्वारा अपने हक व अधिकारी के लिए उक्त वाद प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में माननीय न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई की पूर्ण अधिकारिता है।

विशेष विवरण

प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो भी आपत्ति उठायी है ये सब अपने जवाब दावे में उठा सकते है प्रतिवादी ने आज दिन तक भी उक्त वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत नही किया है जबकि प्रकरण 2017 का है प्रतिवादी केवल प्रकरण को डीले करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रतिवादी ने जो भी आपत्ति उठायी है वे सब जवाब दावे में उठा सकता है तथा प्रकरण का निस्तारण तनकीयात कायम की जाकर मैरिट पर साक्ष्य ली जाकर तय किया जाना है प्रतिवादी ने बिना किसी आधार के उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। यह कि यादीया का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित नहीं है तथा प्रतिवादी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार भी हासिल नहीं है चुकि वीदीया का वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है। तथा वादीया का वाद घोषणा खातेदारी का है जिसकी सुनवाई की अधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाये।

प्रार्थना पत्र का जवाब पेश होने पर प्रार्थना पत्र की बहस पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि जो नामान्तकरण प्रतिवादी नं0 2 के हक में खोले जाने के आदेश पारित किये थे, उक्त नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 12.12.1999 प्रतिवादी नं0 2 के हक में खोला गया उस तथ्य की सम्पूर्ण जानकारी वादिया को है, इस कारण वादिया को उक्त प्रकरण में कोई वाद हैतुक उत्पन्न नही हुआ इस कारण वाद हेतुक अभाव में [illegible] का दावा खारिज किये जाने योग्य है अतः खारिज किया जावे।

जवाब बहस में वकील वादी ने प्रतिवादी वकील की बहस का खंडन करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:22 IST
Reason: SelfAttested

आराजी वादिया के पति स्व0 गोपाल की खातेदारी भूमि है। वादिया ने दावे मुख्य आधार अपने पति के हिस्से की खातेदारी भूमि है। वादिया ने दावे का मुख्य आधार अपने पति के हिस्से की खातेदारी भूमि में घोषणा चाही है। नामान्तकरण की अपील अतिरिक्त कलक्टर जयपुर के यहां की गयी हो तो फिक्सल प्रोसेडिंग थी। तहसीलदार द्वारा जांच कर नामान्तकरण के मामले में आदेश, पारित किया हो तो वो एक समरी प्रोसेडिंग है, जिसके आधार पर अधिकार तय नही किये जा सकते, नामान्तरण खोले जाने से किसी के हित प्रभावित नही होते है। दावे का अभी जवाब दावा पेश नही किया गया है, उक्त तथ्य जवाब दावे में भी झूठा सकते थे, जिनके आधार पर तनकीयात कायम की जाकर गुणा व गुण के आधार पर निर्णय किया जा सकता है जो जवाब दावा पेश नही कर दावे को डिले करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज फरमाया जावे व दावे का जवाब दावा पेश करने हेतु पाबन्द किया जावे।

पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व दावा व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो उक्त वाद वादग्रस्त भूमि गोपाल की खातेदारी भूमि के संबंध में है जो वादिया द्वारा अपने हक में खोले गये नामान्तकरण संख्या 202 दिनांक 14.05.1986 के आधार पर पेश किया गया है जबकि उक्त नामान्तकरण की अपील अतिरिक्त कलक्टर जयपुर 18.09.1986 को निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार चाकसू को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किये जाने पर तहसीलदार चाकसू ने जांच कर निर्णय पारित किया कि मृतक गोपाल की औरत गोपाली नाते चली गयी व गोपाल के कोई औलाद नही थी, पगडी का दस्तुत उसके भाई के लडके जयनारायण के हुआ। इस प्रकार गोपाल की और गोपाल तहसीलदार चाकसू के निर्णय दिनांक 27.07.1987 के अनुसार गोपाल की मृत्यू से पहले ही नाते चली गयी तो गोपाल द्वारा छोडी गई सम्पत्ति में गोपाली का कोई हक व अधिकार नही रहता। इसकी सम्पूर्ण जानकारी को शुरू से ही नामान्तरण संख्या 202 दिनांक 14.05.1986 का खारिज किया जाकर तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय 27.07.987 किया तब से ही जानकारी है। इस प्रकार वादिया को उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। वाद हेतुक उत्पन्न नही होने से प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होते है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी/ प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार होने से दावा वादी खारीज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री की जाती है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:22 IST
Reason: SelfAttested